1.	2	3	4	5
6.	11.10.94 147 [(एफ०आई०पी०बी० (ईसी)]	करण मल्टीलायर फिल्म लि०, आरओ 59, जोन-2, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०)	दलसेम वैकियम बी०वी० नीदरलैंड नीदरलैंड	74.25 (5.81%)

मद विवरण: भोपाल (मध्य प्रदेश) में सिरका अथवा एसिटिक अम्ल के अलावा अन्य चीजों से तैयार अथवा संरक्षित खुमी।

7.	22.10.93 474 [(एफ०आई०पी०बी० (ईसी)]	मध्य प्रदेश ग्लाइकेम इण्ड० 12/8, न्यू पालासिया, इन्दौर	एन०आर०आई०	100.00 (8.00%)

मद विवरण: नरसिंह पुर (मध्य प्रदेश) में सोयाबीन से निकाला गया तेल।

8.	1.11.93 510 [(एफ०आई०पी०बी० (ईसी)]	रुचि सौया इण्ड० लि०, 214, तुलसीअनी चेम, तुलसीअनी चेम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-452001	एन०आर०आई०	150.00 (12.00%)

मद विवरण: इंदौर (मध्य प्रदेश) में तेल रहित किया हुआ सोयाबीन का केक

कृषि जोतों की अधिकतम सीमा

2513. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि जोतों की अधिकतम सीमा को पुनः निर्धारित करने पर गहन रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बेनामी कृषि जोतों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी कृषि जोतों की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) मार्च 1992 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि "बेनामी एवं फर्जी मामलों के संबंध में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।" इस मामले में उपर्युक्त कदम उठाने के लिए ये सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेजी गयी थीं।

(घ) और (ङ) जी, हां।

महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने अध्यादेशों को लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। महाराष्ट्र राज्य का प्रस्ताव कारपोरेट सेक्टर को बिना किसी सीमा के पट्टे पर भूमि रखने की अनुमति देने से संबंधित था, जबकि

पश्चिम बंगाल राज्य का प्रस्ताव उद्योगों एवं टाउनशिप बिल्डिंग के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के स्वामित्व अधिकार और पट्टा अधिकार हेतु अधिकतम सीमा के प्रावधान से पूर्णरूपेण छूट देने से संबंधित था। भारत सरकार ने उपरोक्त राज्यों के अध्यादेशों को लागू करने को अब तक अपनी सहमति नहीं दी है। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन अब तक अपनाए गए भूमि सुधारों की राष्ट्रीय नीति के विपरीत हैं। कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया और इसे राष्ट्रपति जी विचारार्थ रखे बिना कानून का रूप प्रदान कर दिया।

उपरोक्त कानून के अन्तर्गत एक पट्टेधारी के लिए निर्धारित जोत की अधिकतम सीमा में भारी वृद्धि का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास, शैक्षणिक संस्थाओं, पूजास्थलों, आवास परियोजनाओं एवं बागवानी परियोजनाओं के लिए अधिकतम सीमाओं में भी वृद्धि की गयी है। राज्य सरकार ने जनहित में, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए भूमि-जोत को किसी भी सीमा तक छूट प्रदान करने का असीमित अधिकार प्राप्त कर लिया है।

कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है, जिसने पहले से ही अनुच्छेद 31 बी के अंतर्गत संरक्षित एवं संसद के अधिनियमों (1990 से अब तक 4 बार) द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में, उसे राष्ट्रपति जी के विचारार्थ रखे बिना संशोधन किया है और भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसे प्रभावी बनाया है।

Surveys for HIV Infection

2514. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem published in the Indian Express of 7th September, 1995 of high incidence of HIV in Bombay and if so, the reaction of Government thereto and whether Government have made surveys of other metros and large towns of HIV infliction, if so, what are the findings and if not, the reasons for not doing such surveys;

(b) what fool-proof measures Government have taken to ensure that only certified and HIV-free blood is available for transfusion; and

(c) the financial allocation of HIV control and prevention in 1995 and the percentage of money actually utilised by the Central Government and State Governments of the allocation made for 1994-95?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) Government is aware about the newsitem. Sentinal Surveillence reports also indicate that, there is high prevalence of HIV in bombay and other metros, in high risk population.

(b) Regulatory mechanisms have been tightened and it is now mandatory to test every unit of blood to ensure that blood is free from Blood transmissible diseases before it is issued for transfusion. Noblood bank can now be opened without the approval of the Drug Controller of India. 150 Zonal Blood Testing Centres have been set up and linkages have been provided to all blood banks. Rapid HIV kits are provided at district level hospitals to facilitate testing of blood for HIV before transfusion.

(c) Under the National AIDS Control Programme an allocation of Rs. 80 crores has been made during the financial year 1995-96. The percentage of utilisation by the Central Government and State Governments during 1994-95 is as under:—